

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड

अधिसूचना

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित नियमावली बनाती है :

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—
 - (1) यह नियमावली जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 2007 कही जा सकेगी।
 - (2) यह शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ— जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6);
 - (ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, राज्य पर्षद का अध्यक्ष;
 - (ग) "राज्य पर्षद प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है, धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला;
 - (घ) "राज्य जल प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है, धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला;
 - (ङ) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है, इस नियमावली में दिए गए प्रपत्र;
 - (च) "सदस्य" से अभिप्रेत है, राज्य पर्षद का सदस्य एवं इसके अध्यक्ष ;
 - (छ) "सदस्य-सचिव" से अभिप्रेत है, राज्य पर्षद का सदस्य-सचिव;
 - (ज) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;
 - (झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अनुसूची;
 - (ञ) "वष्ट" से अभिप्रेत है, अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होनेवाला वित्तीय वर्ष;
 - (ट) "राज्य पर्षद" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद;
 - (ठ) "सहमति" से अभिप्रेत है, वहिस्त्राव के लिए राज्य पर्षद के प्राधिकारी की सहमति;
 - (ड) "सहमति प्रपत्र" से अभिप्रेत है, राज्य पर्षद द्वारा यथानुमोदित वहिस्त्राव के निस्सरण के निमित्त राज्य पर्षद की सहमति प्राप्त करने के लिए विहित प्रपत्र;
 - (ढ) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड की राज्य सरकार;
 - (ण) "बैठक" से अभिप्रेत है, राज्य पर्षद या समिति की बैठक ; और
 - (त) "समिति" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य पर्षद द्वारा गठित समिति ।

राज्य पर्षद् के और राज्य पर्षद् की समितियों के सदस्यों की सेवा की सीमा और शर्तें।

3. अध्यक्ष के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें –

- (1) अध्यक्ष को वेतन के रूप में प्रतिमाह वही राशि देय होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- (2) अध्यक्ष की सेवा के अन्य सीमा और शर्तें, जिनके अन्तर्गत उसे भुगतेय भत्ते भी आते हैं, वही होगी जो उसकी नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय और उनके इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं की जाने पर ऐसे सीमा और शर्तें, यथाशक्य, वही होगी जो राज्य सरकार के समान स्तर के किसी प्रथम श्रेणी पदाधिकारी पर लागू है।
- (3) उप-नियम (1) और (2) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जहां किसी सरकारी सेवक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, वहां उसकी सेवा की सीमा और शर्तें वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय।
- (4) उप-नियम (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी राज्य बोर्ड की यात्रा भत्ता नियमावली के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर यात्रा, विराम तथा दैनिक भत्ता अध्यक्ष को देय होगा।

4. सदस्य-सचिव के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें –

- (1) सदस्य-सचिव को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतनमान में मासिक वेतन दिया जायेगा।
- (2) सदस्य-सचिव की सेवा के अन्य सीमा और शर्तें जिनके अन्तर्गत उसे भुगतेय भत्ते भी आते हैं, वही होगी जो उसकी नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय।
- (3) उप-नियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सरकारी सेवक को सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसकी सेवा के सीमा और शर्तें वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय।
- (4) उप-नियम (1), (2) एवं (3) में किसी बात के होते हुए भी राज्य पर्षद् के निमित बनायी जाने वाली यात्रा भत्ता नियमावली के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर यात्रा, विराम तथा दैनिक भत्ता सदस्य-सचिव को देय होगा।

5. राज्य पर्षद् के सदस्यों की सेवा के सीमा और शर्तें–

- (1) राज्य पर्षद् के गैर-सरकारी सदस्य पर्षद् या समिति की बैठक में भाग लेने के लिये पाँच सौ रुपये की दर से फीस पाने के हकदार होंगे। यह उनके यात्रा व्यय के अतिरिक्त होगा, जो राज्य पर्षद् के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी को अनुमान्य है।
- (2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि ऐसा व्यक्ति कोई सरकारी सेवक अथवा किसी सरकारी उपकरण में कर्मचारी हो तो वह उसी दर से यात्रा और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा जो उस पर लागू सुसंगत नियमों के अधीन उपबन्धित है:

परन्तु सांसद/विधान मंडल के सदस्य की दशा में, जो राज्य पर्षद् का सदस्य भी हो, उक्त दैनिक और यात्रा भत्ता संसद/विधान मंडल के सदस्य के रूप में अनुमान्य दर से देय होगा, जबकि संसद/विधान सभा सत्र में नहीं हो एवं इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने उसी यात्रा और विराम के लिये किसी अन्य सरकारी स्रोत से मात्रा भत्ता स्वीकार नहीं किया है।

- (3) उप-नियम (1) एवं (2) में किसी बात के होते हुए भी राज्य पर्षद् के निमित बनायी जानेवाली यात्रा भत्ता नियमावली के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर यात्रा, विराम तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

6. राज्य पर्षद् की किसी समिति के ऐसे सदस्यों की जो पर्षद् के सदस्य नहीं हो धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन फीस और भत्तों का भुगतान – राज्य पर्षद् की किसी समिति के सदस्य को समिति की बैठकों के लिये नियम 5 में विनिर्दिष्ट दरों पर यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

अध्याय – 3
अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव की शक्तियां एवं कर्तव्य

7. अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य –

- (1) अध्यक्ष का नियंत्रण राज्य पर्षद के दिन–प्रतिदिन के क्रिया कलापों पर सर्वोपरि होगा।
- (2) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे राज्य पर्षद द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।
- (3) उप–नियम (1) एवं उप–नियम (2) के होते हुए भी अध्यक्ष अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन सदस्य–सचिव के माध्यम से करेगा।

8. धारा 12 की उप–धारा (2) के अधीन सदस्य–सचिव की शक्तियां और कर्तव्य—

- (1) सदस्य–सचिव अध्यक्ष के अधीनस्थ होगा।
- (2) सदस्य–सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा या अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।

9. पदों का सृजन और उन्मूलन –

- (1) राज्य पर्षद अपने कृत्यों के दक्षता–पूर्ण पालन के लिये ऐसे पदों का सृजन विभिन्न वेतनमान में कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे, उस पद पर नियुक्ति कर सकेगा तथा ऐसे सृजित किये गये पदों का उन्मूलन कर सकेगा और फलस्वरूप की गयी नियुक्ति को भी समाप्त कर सकेगा : परन्तु ऐसे पद जिसका वेतनमान राज्य सरकार के मुख्य अभियंता के वेतनमान से अधिक हो, के सृजन उन्मूलन या उस पद पर नियुक्ति के लिये राज्य पर्षद सरकार से पूर्व स्वीकृति ले लेगा।
- (2) धारा 12 की उप–धारा (3) के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन राज्य पर्षद को अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न वेतनमानों में नियुक्ति, प्रोन्नति, सम्पुष्टि, स्थानान्तरण और सेवा–समाप्ति के मामलों में पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी।
- (3) नियम के होते हुए, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3 ए) के अन्तर्गत राज्य पर्षद के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों की सेवा शर्त (वेतनमान समेत), नियुक्ति की विधि और सीमा एवं शर्त वही होंगे जो राज्य सरकार के समतुल्य स्तर के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों के होंगे।

अध्याय – 4
सहयोजन की रीति एवं प्रयोजन

10. धारा 10 के अधीन राज्य पर्षद के साथ व्यक्तियों के सहयोजन की नीति और प्रयोजन –

- (1) राज्य पर्षद किसी व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह वह अपने कृत्यों के पालन में अभिप्राप्त करना उपयोगी समझता है, अपनी किन्हीं बैठकों में विचार–विमर्श में भाग लेने के लिये आमंत्रित कर सकेगा।
- (2) यदि उप–नियम (1) के अधीन पर्षद से सहयुक्त व्यक्ति गैर–सरकारी व्यक्ति हो तो वह पर्षद की प्रत्येक दिन की बैठक के लिये जिसके साथ वह इस प्रकार सहयुक्त हो तथा पर्षद के किसी कार्य हेतु प्रत्येक दिन के वास्तविक कार्य के लिये पर्षद द्वारा निर्धारित की गयी फीस पाने का हकदार होगा। यह पर्षद के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी को अनुमान्य यात्रा भत्ता के अतिरिक्त होगा।
- (3) उप–नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवक या किसी सरकारी उपकरण में कर्मचारी है तो वह आने पर लागू सुसंगत नियमों के अधीन अनुज्ञेय दरों पर ही यात्रा और दैनिक भत्तों के लिए हकदार होगा।
- (4) ऐसे अस्थायी सहयोजित व्यक्तियों को पर्षद की बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

अध्याय – 5
परामर्शी इन्जिनीयर एवं सूचना प्रपत्र

11. धारा 12 की उप—धारा (4) के अधीन परामर्शी इन्जिनीयर की नियुक्ति –

राज्य पर्षद् को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता देने के प्रयोजनार्थ राज्य पर्षद् का अध्यक्ष अधिकतम छह माह की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परामर्शी इन्जिनीयर को नियुक्त कर सकेगा ।

परन्तु अध्यक्ष राज्य पर्षद् के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति की अवधि समय—समय पर बढ़ाकर एक वर्ष तक कर सकेगा:

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए परामर्शी इन्जिनीयर की नियुक्ति कर सकेगा ।

12. नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति –

नियम 11 के अधीन किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये परामर्शी इन्जिनीयर की नियुक्ति होने पर भी अध्यक्ष को परामर्शी की नियुक्ति विनिर्दिष्ट अवधि बीतने के पूर्व ही रद्द करने का अधिकार होगा, यदि अध्यक्ष की राय में ऐसा करना चाहनीय हो जाये ।

13. परामर्शी इन्जिनीयर की पारिश्रमिक –

अध्यक्ष परामर्शी इन्जिनीयर की योग्यता और उसके कार्यस्वरूप को देखते हुए उसे उपयुक्त पारिश्रमिक या फीस दे सकेगा, किन्तु वह परामर्शी इन्जिनीयर के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं करेगा जिसका पारिश्रमिक या फीस 15,000 रुपये से प्रतिमाह अधिक हो । प्रतिमाह पन्दरह हजार रुपये से अधिक पारिश्रमिक देने के लिए अध्यक्ष को सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा ।

14. परामर्शी इन्जिनीयर का दौरा—

परामर्शी इन्जिनीयर राज्य पर्षद् द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों के सम्पादन के लिए देश के भीतर दौरा कर सकेगा और ऐसे दौरे के लिये वह राज्य पर्षद् के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के रूप में यात्रा और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा । उसे अपना दौरा कार्यक्रम अध्यक्ष या सदस्य—सचिव से पहले अनुमोदित करा लेना होगा ।

15. परामर्शी इन्जिनीयर जानकारी प्रकट नहीं करेगा –

वह राज्य पर्षद् की लिखित अनुमति के बिना राज्य पर्षद् द्वारा दी गई जानकारी अथवा राज्य पर्षद् द्वारा या अन्यथा सौंपे गये कर्तव्य के सम्पादन के दौरान प्राप्त जानकारी राज्य पर्षद् से भिन्न किसी व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा ।

16. परामर्शी इन्जिनीयर के कर्तव्य और कृत्य –

वह ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जो उसे राज्य पर्षद्/अध्यक्ष/सदस्य—सचिव द्वारा सौंपे जाएं ।

17. धारा 21 की उप—धारा (1) के खंड (क) के अन्तर्गत सूचना का प्रपत्र (फार्म) –

राज्य पर्षद् या उसके द्वारा इस निमित्त नमूना लेने वाला धारा 21(3) (क) में अपेक्षित विश्लेषण किये जाने के आशय की सूचना इस नियमावली से सम्बद्ध अनुसूची के प्रपत्र 1 में तामिल करेगा ।

अध्याय – 6
राज्य पर्षद् प्रयोगशाला

18. धारा 22 की उप—धारा (1) के अधीन राज्य पर्षद् विश्लेषक की रिपोर्ट का फॉर्म—

(1) जब किसी जल, मल—जल या व्यावसायिक वहिस्ताव का कोई नमूना राज्य पर्षद् द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजा गया हो तो वह धारा 53 की उप—धारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य पर्षद् विश्लेषक नमूने का विश्लेषण करेगा और ऐसे विश्लेषण की रिपोर्ट राज्य पर्षद् को प्रपत्र II में तीन प्रतियों में भेजेगा ।

- (2) यदि कोई नमूना धारा 21(3) (ई) और 21(4) के अन्तर्गत विश्लेषण के लिए उक्त प्रयोगशाला में भेजा गया हो तो विश्लेषण की रिपोर्ट तीन प्रतियों में प्रपत्र में प्रपत्र II में ही राज्य पर्षद् को भेजा जायेगा, जिसकी एक प्रति उक्त अधिष्ठाता या अभिकर्ता को भी देय होगा।
19. राज्य पर्षद् प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिये फीस—
अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के अनुरोध पर किसी नमूने का विश्लेषण कराने का फीस वही होगा जैसा राज्य पर्षद् समय—समय पर निर्धारित करें।
- अध्याय – 7
राज्य जल प्रयोगशाला
20. धारा 52 की उप—धारा (2) के अधीन राज्य जल प्रयोगशाला के कृत्य—
राज्य जल प्रयोगशाला जल, मल—जल या व्यावसायिक वहिस्माव के ऐसे नमूनों का, जो उसे राज्य पर्षद् द्वारा उसके प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी से प्राप्त हुए हों, विश्लेषण कराएगी तथा निष्कर्ष प्रपत्र III में तीन प्रतियों में अभिलिखित किये जायेंगे।
21. रिपोर्ट के लिए फीस — अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के अनुरोध पर किसी नमूने का विश्लेषण खर्चे उसी व्यक्ति के द्वारा संदय होगा और उसके लिए फीस वही होगी जो राज्य पर्षद् द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाय।
- अध्याय – 8
सहमति हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं अपील
22. धारा 25 की उप—धारा (2) के अधीन सहमति के लिए आवेदन — कोई भी व्यक्ति, धारा 25 के अधीन मल या व्यावसायिक वहिस्माव के किसी सरिता या कुएं या मलनल में या भूमि पर निस्सरण या कोई नया या परिवर्तित निकास के लिए अथवा धारा 26 के अधीन अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व से विद्यमान मल या व्यावसायिक वहिस्माव के किसी सरिता या कुएं या मल—नल में या भूमि पर निस्सरण के लिए राज्य पर्षद् की सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन राज्य पर्षद् को राज्य पर्षद् द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में जमा करेगा।
23. सहमति शुल्क —
नियम 22 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में, अधिनियम की धारा 25 एवं 26 के अधीन राज्य पर्षद् की सहमति प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ राज्य पर्षद् द्वारा निर्धारित सहमति शुल्क देना होगा।
24. धारा 25 की उप—धारा (3) के अधीन सहमति के लिए दिये गये आवेदन की जांच करने की प्रक्रिया —
- (1) अधिनियम की धारा 25 या धारा 26 के अधीन सहमति के लिए आवेदन प्राप्त होने पर राज्य पर्षद् अपने किसी पदाधिकारी को उतने सहायकों के साथ जितना आवश्यक हो आवेदन में दी गयी विशिष्टियों को सत्यता या सत्यापन करने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसी और विशिष्टियों या जानकारी अभिप्राप्त करने के लिये जिसे ऐसा पदाधिकारी आवश्यक समझे, आवेदन के उस परिसर का जिससे कि ऐसा आवेदन संबद्ध है, निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। ऐसा पदाधिकारी उसके प्रयोजनार्थ किसी ऐसे स्थान, जहां आवेदक द्वारा जल, मल—जल या व्यावसायिक वहिस्माव का उत्सर्जन किया जाता है, अथवा आवेदक के शोधन—संयंत्रों का निर्मली—करण, निर्माण या अपवहन प्रणालियों का भी निरीक्षण कर सकेगा और आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे ऐसे शोधन संयंत्रों, निर्मलीकरण, निर्माण या अपवहन प्रणालियों अथवा उनके किसी भाग से संबंधित कोई नक्शा, विनिर्देश या अन्य ऐसी आधार सामग्री दे, जिसे वह आवश्यक समझता हो।
- (2) ऐसा पदाधिकारी उप—नियम (1) के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनार्थ आवेदक के किसी परिसर का निरीक्षण करने के पहले आवेदक को अपने ऐसा करने के आशय की सूचना प्रपत्र IV में देगा। आवेदक ऐसे पदाधिकारी को वे सभी सुविधाएं प्रदान करेगा जिनका ऐसा पदाधिकारी उसके प्रयोजनार्थ विधि सम्मत रूप से अपेक्षा करें।
- (3) राज्य पर्षद् का कोई पदाधिकारी उप—नियम (1) के अधीन निरीक्षण करने के पहले या पश्चात आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे मौखिक या लिखित रूप से ऐसी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण दे या उसके समक्ष ऐसी दस्तावेज पेश करे जिन्हें वह आवेदन के अन्येषण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझता हो और इसके लिए वह आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को राज्य पर्षद् के कार्यालय में बुला सकेगा।
25. अपील —

धारा 28 के अधीन अपीलों की सुनवाई राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से राज्य सरकार द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकार द्वारा किया जाएगा ।

अध्याय — 9
राज्य पर्षद् का बजट

26. धारा 38 के अधीन प्राक्कलनों का प्रपत्र—

- (1) आगामी वर्ष का बजट जिसमें राज्य बोर्ड को प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दिखाए रहेंगे प्रपत्र V से X अथवा राज्य पर्षद् द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में तैयार करके राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा ।
- (2) प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय के साथ चालू वर्ष का पूनरीक्षित बजट प्राक्कलन में दिया रहेगा ।
- (3) बजट यथाशक्य राज्य पर्षद् द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा—शीर्षों पर आधारित होगा ।

27. राज्य पर्षद् को बजट प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाना —

- (1) नियम 25 के अनुसार यथा संकलित बजट प्राक्कलन प्रतिवर्ष 5 अक्तूबर तक सदस्य—सचिव द्वारा राज्य पर्षद् के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जायेगा ।
- (2) राज्य पर्षद् द्वारा बजट प्राक्कलन के अनुमोदन के पश्चात् अंतिम बजट प्रस्तावों की, जिनमें राज्य पर्षद् द्वारा किये गये उपान्तरण सम्मिलित होंगे, चार प्रतियाँ प्रतिवर्ष 15 अक्तूबर तक राज्य सरकार की अग्रसारित की जायेगी ।

28. व्यय उपगत करने की शक्ति —

राज्य पर्षद् प्राप्त निधियों में से राज्य सरकार के वित्तीय नियमों और उसके द्वारा समय—समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार व्यय उपगत करेगा ।

29. राज्य पर्षद् की निधि का संचालन—

राज्य पर्षद् की निधि का संचालन राज्य पर्षद् के सदस्य—सचिव द्वारा या राज्य पर्षद् के किसी ऐसे पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा । जिसे राज्य पर्षद् ने इस रूप में सशक्त किया हो ।

30. व्यावृति—

इस अध्याय की कोई बात किसी ऐसे बजट पर लागू न होगी, जिसे इस नियमावली के प्रारम्भ के पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया हो ।

अध्याय — 10
वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र एवं लेखा

31. धारा 39 की उप—धारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र —

पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में, जिसमें पूर्व वित्त वर्ष के दौरान राज्य पर्षद् के किया—कलापों का सही और पूर्ण विवरण दिया रहेगा, फॉर्म X अथवा राज्य—पर्षद् द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्म में विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी और यह प्रतिवर्ष 15 मई तक राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी ।

32. राज्य पर्षद् का लेखा — धारा 40 की उप—धारा (1) के अधीन राज्य पर्षद् के लेखा का वार्षिक विवरण प्रपत्र V से X अथवा राज्य—पर्षद् द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में होगा ।

33. धारा 8 के अधीन बैठक की सूचना –

- (1) राज्य पर्षद की बैठक राँची या राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीखों पर होगी।
 - (2) अध्यक्ष राज्य पर्षद के कम–से–कम पाँच सदस्यों के लिखित अनुरोध अथवा राज्य सरकार के निदेश पर राज्य पर्षद की विशेष बैठक बुलाएगा।
 - (3) सदस्य–सचिव साधारण बैठक के लिए पन्द्रह पूरे दिनों की और विशेष बैठक के लिए तीन पूरे दिनों की सूचना सदस्यों को देगा। जिसमें बैठक का स्थान और समय तथा उसमें सम्पादित किये जाने वाले कार्य का उल्लेख रहेगा।
 - (4) सदस्यों की बैठक की सूचना उनके निवास या कारबार के पिछले ज्ञात स्थान पर दूत द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज कर अथवा ऐसी अन्य रीति से दी जा सकेगी जिसे अध्यक्ष मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें।
 - (5) किसी भी सदस्य को किसी बैठक के समक्ष विचारार्थ कोई ऐसा मामला पेश करने का जिसके लिए उसने सदस्य–सचिव को पूरे दस दिनों की सूचना न दी हो, तब तक अधिकार नहीं होगा, जब तक कि अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से उसे ऐसा करने की अनुमति न दें।
 - (6) राज्य पर्षद किसी बैठक को किसी विशेष दिन के लिए स्थगित कर सकेगा तथा स्थगित बैठक के लिए कोई नयी सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (7) कोई भी कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि सूचना से संबंधित इस नियम के उपबन्ध का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया है।
34. अध्यक्षा करने वाला पदाधिकारी – अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया सदस्य उसकी अध्यक्षता करेगा।
35. सभी प्रश्नों का विनिश्चय बहुमत से किया जायेगा –

- (1) बैठक में उठाया जाने वाला कोई भी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किया जायेगा तथा मतदान प्रस्ताव के पक्ष में हाथ उठाकर किया जायेगा।
 - (2) मत के बराबर होने की दशा में पीठासीन पदाधिकारी दूसरा या निर्णायक मत देगा।
36. कोरम –
- (1) किसी भी बैठक के लिए कोरम पाँच व्यक्तियों का होगा ;
 - (2) यदि किसी बैठक के लिए निर्धारित समय पर अथवा किसी बैठक के दौरान कोरम पूरा न हो तो अध्यक्षता करने वाला पदाधिकारी बैठक स्थगित कर देगा और यदि ऐसे स्थगन के 30 मिनट के बाद भी कोरम पूरा न हो, तो अध्यक्षता करने वाला पदाधिकारी अगले दिन अथवा किसी अन्य अगली तारीख के उस समय तक के लिए बैठक स्थगित कर देगा, जैसा वह निर्धारित करे।
 - (3) स्थगित की गई बैठक के लिये किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (4) जो विषय बैठक की कार्यसूची में नहीं रहा हो उस पर स्थगित बैठक में विचार नहीं किया जायेगा।
 - (5) स्थगित बैठक के लिए नयी सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।

37. कार्यवृत –

- (1) बैठक में जिन सदस्यों ने भाग लिया हो, उनके नाम और बैठक की कार्यवाही की अभिलेख सदस्य–सचिव द्वारा एक बही में रखा जायेगा।

(2) पिछली बैठक का कार्यवृत्त प्रत्येक अगली बैठक के आरम्भ में पढ़ा जायेगा तथा उस बैठक की अध्यक्षता करने वाला पदाधिकारी उसकी सम्पुष्टि करके उस पर हस्ताक्षर करेगा।

38. बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य –

अध्यक्षता करने वाले पदाधिकारी के अनुमति के बिना किसी कार्य का निष्पादन नहीं किया जायेगा, जो कार्य-सूची में दर्ज न हो अथवा जिसके लिए नियम 33 के उप-नियम (5) के अधीन किसी सदस्य द्वारा सूचना न दी गई हो।

39. कार्य अनुक्रम –

(1) किसी बैठक में कार्य उसी क्रम से सम्पादित किया जायेगा जिस क्रम में वह कार्य-सूची में दर्ज हो।

(2) बैठक के आरम्भ में या बैठक के दौरान किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श पुरा होने के बाद, अध्यक्षता करने वाला पदाधिकारी या कोई सदस्य कार्य-सूची में दर्ज कार्य-अनुक्रम में परिवर्तन का सुझाव दे सकेगा यदि बैठक में इस पर सहमति हो जाए, तो कार्य अनुक्रम में परिवर्तन कर दिया जायेगा।

40. नियमापत्ति –

किसी भी सदस्य को ऐसे विषय पर, जिसपर विचार, विमर्श चल रहा हो, नियमापत्ति करने का अधिकार होगा तथा उसके बाद अध्यक्षता करने वाले पदाधिकारी को प्रश्न का विनिश्चय करके अपना विनिर्णय देने का अधिकार होगा, जो अंतिम होगा।

41. धारा 9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पर्षद द्वारा गठित समितियों के कार्य निष्पादन की प्रक्रिया –

(1) धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य पर्षद द्वारा गठित समिति की बैठक का समय और स्थान वही होगा, जैसा कि समिति के संयोजक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति की बैठक का कोरम समिति के कुल सदस्य संख्या का आधा होगा।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अधीन, धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन गठित किसी समिति की बैठक, यथाशक्य उन्हीं नियमों द्वारा शासित होगी जो नियम राज्य पर्षद की बैठकों पर लागू होते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव।

प्रपत्र I

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

नमूने का विश्लेषण करने के आशय की सूचना

(देखे नियम 17)

सेवा में,

आपको यह सूचित हो कि निम्नलिखित जल/मलजल/व्यापार वहिस्ताव के नमूने का विश्लेषण कराया जाना
आशयित है जो आज तारीख 20 रो (I)

से लिया जा रहा है।

.....
नमूना लेने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम।

(1) यहां उस सरिता, कुएँ, संयंत्र, जलयान या स्थान का विनिर्देश करें जहां से नमूना लिया गया है।

प्रतिलिपि –

.....
हस्ताक्षर

प्रपत्र II

राज्य पर्षद विश्लेषक की रिपोर्ट

(नियम 18 देखें)

रिपोर्ट सं०

दिनांक 20.....

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं (I) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 53 की उप-धारा (3) के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त राज्य पर्षद् विश्लेषक ने
तारीख (II) 20 को (III) से
..... का, नमूना विश्लेषण के लिए प्राप्त किया। नमूना विश्लेषण के योग्य दशा में था जिसकी रिपोर्ट नीचे दी गई
है :

मैं आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने तारीख (IV) को पूर्वोक्त नमूने का विश्लेषण कर
लिया है और घोषित करता हूँ कि विश्लेषण का परिणाम नीचे लिखे अनुसार है :—

(V)

..... प्राप्त होने के समय सील,
बंधन और पात्र की दशा निम्न प्रकार थी :—

..... आज तारीख 20

..... को हस्ताक्षरित ।

पता —

.....
.....
.....

हस्ताक्षर

राज्य बोर्ड विश्लेषक

सेवा में

.....
.....
.....

- (i) यहां राज्य पर्षद् विश्लेषक का पूरा नाम लिखें।
- (ii) यहां नमूने की प्राप्ति की तारीख लिखें।
- (iii) यहां पर्षद् या व्यक्ति या व्यक्ति निकाय या पदाधिकारी का नाम लिखें जिससे नमूना प्राप्त हुआ।
- (iv) यहां विश्लेषण की तारीख लिखें।
- (v) यहां विश्लेषण के ब्योरे लिखें और विश्लेषण की पद्धति का निर्देश करें। यदि स्थान पर्याप्त न हो तो ब्योरे
पृथक कागज पर दिये जा सकते हैं।

प्रपत्र III
सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट
(नियम 20 देखें)

रिपोर्ट सं0 दिनांक20.....

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं (i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त सरकारी विश्लेषक ने तारीख (ii) को (iii) से का नमूना विश्लेषण के लिये प्राप्त किया। नमूना विश्लेषण के योग्य दशा में था जिसकी रिपोर्ट नीचे दी गई है।

मैं आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने तारीख (IV) को पूर्वोक्त नमूने का विश्लेषण कर लिया है और घोषित करता हूँ कि विश्लेषक का परिणाम नीचे लिखे अनुसार है :—
(v)

प्राप्त होने के समय सील, बंधन और पात्र की दशा निम्न प्रकार थी :—
आज तारीख20 को हस्ताक्षरित।

पता —

.....
.....
.....

हस्ताक्षर

राज्य सरकार विश्लेषक

सेवा में

.....
.....
.....

- (i) यहां सरकारी विश्लेषक का पूरा नाम लिखें।
- (ii) यहां नमूने की प्राप्ति की तारीख लिखें।
- (iii) यहां बोर्ड या व्यक्ति या व्यक्ति निकाय या पदाधिकारी का नाम लिखें जिससे नमूना प्राप्त हुआ था।
- (iv) यहां विश्लेषण की तारीख लिखें।
- (v) यहां विश्लेषण के ब्योरे लिखें और विश्लेषण की पद्धति का निदेश करें। यदि स्थान पर्याप्त न हो तो ब्योरे पृथक कागज पर दिये जा सकते हैं।

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद निरीक्षण की सूचना

[देखें नियम – 24 (2)]

सं०
दिनांक

प्रेषक

श्री
.....
.....

सेवा में,

श्री
.....
.....

आपको यह सूचित हो कि धारा 25/26 के अधीन जांच के लिये राज्य बोर्ड के निम्नांकित अधिकारी, अर्थात् –

- (क) श्री
- (ख) श्री
- (ग) श्री

तथा बोर्ड द्वारा उनकी सहायता के लिये प्राधिकृत व्यक्ति –

- (क) जल संकर्म
- (ख) मल संकर्म
- (ग) अवशिष्ट शोधन संयंत्र
- (घ) कारखाना
- (ड) अपवहन पद्धति
- (च) प्रबन्ध नियंत्रण के अधीन उनके या उनसे संबंधित अन्य भागों का तारीख _____ को _____ बजे से _____ बजे तक निरीक्षण करेंगे। उस समय उनके द्वारा ऐसे निरीक्षण के लिये अपेक्षित सभी सुविधायें, उस स्थल पर उन्हें उपलब्ध की जानी चाहिए। आपको यह सूचित हो कि उपर्युक्त मांग को, जो कि राज्य पर्षद के कृत्या के अधीन की गई है, अस्वीकार या प्रतिवाद करना अधिनियम की धारा 42 के अधीन दंडनीय वाधा की कोटि में आएगा।

पर्षद के आदेश से,

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि 1.

3.

2.

4.

फार्म-V

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

वर्ष, 20..... के विस्तृत बजट का प्राक्कलन

प्रशासन

(नियम 26 एवं 32 देखें)

लेखा शीर्ष	पिछले तीन वर्षों का वारस्तविक				चालू वर्ष, 20..... के पिछले महिनों के लिए स्थीकृत प्राक्कलन	चालू वर्ष, 20..... के पिछले महिनों का वारस्तविक	चालू वर्ष, 20..... के लिए पुनर्गठित प्राक्कलन	चालू वर्ष, 20..... के लिए प्रावक्तालत बजट	काँलम 5 एवं 7 में फर्क	काँलम 7 एवं 8 में फर्क	काँलम 9 एवं 10 के लिए स्पष्टीकरण
	20....	20....	20....	20....							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

फार्म-VI

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

वर्ष, 20..... के लिए प्रस्तावित स्थापना की विवरणी
स्थापना

(नियम 26 एवं 32 देखें)

नाम एवं पदनाम	प्रावलन कार्म के पृष्ठ	पद के लिए स्वीकृत वेतन—आगामी वर्ष की 1ली अप्रैल को संबंधित व्यक्ति का वेतन	कॉलम 5 की दर से प्रावधान की गई राशि	वर्ष के अन्दर पड़ने वाले वेतनवृद्धि	कॉलम 5 एवं कॉलम 9 का कर्तव्यांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

फार्म-VII
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
सामान्य क्रम
(नियम 26 एवं 32 तेरें)

1	नाम एवं पदनाम	2	वेतन	3	मँहगाई भता	4	नगर क्षेत्रीय भता	5	आवास किसाया भता	6	अतिरिक्त कार्य समय भता	7	शिशु शिक्षण भता	8	अवकाश यात्रा में छूट	9	अन्य भते	10	कुल योग
	कुल योग																		

फार्म-VIII

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

सामान्य क्रम का सार
(नियम 26 एवं 32 देखें)

पदों की विवरणी	वर्ष 20.....-20..... के लिए स्वीकृत बजट 1ल. पहली अंगत 20..... को वास्तविक स्वीकृत बजट	वर्ष 20.....-20..... के लिए स्वीकृत प्राक्कलन		वर्ष 20.....-20..... के बजट का प्राक्कलन		कॉलम 4, 6 एवं 8 की गणियों में अतर का स्पष्टीकरण		
		सम्भिलत किए गए पदों की संख्या	बेतन एवं भत्ते	सम्भिलत किए गए पदों की संख्या	बेतन एवं भत्ते			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I पदाधिकारी (क) भरे गए पद (ख) रिक्त पद कुल पदाधिकारी								
II स्थापना (क) भरे गए पद (ख) रिक्त पद कुल स्थापना								
III वर्ग-IV (क) भरे गए पद (ख) रिक्त पद कुल वर्ग IV								
I, II एवं III का कुल योग								

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

वर्ष 20..... के प्राप्ति एवं भुगतान की वार्षिक विवरणी
(नियम 26 एवं 32 देखें)

प्राप्ति		भुगतान	
	शीर्ष प्राप्ति मूल खर्च		शीर्ष भुगतान रकम
I	प्रारंभ की राशि		
II	प्राप्त स्वीकृति (क) सरकार से (क) अन्य संस्था से		
III	शुल्क		
IV	जुर्माना एवं जप्ति		
V	पैंजी का ब्याज		
VI	विविध प्राप्तियाँ		
VII	विविध अप्रिम		
VIII	जमा		
IX	कुल		
		ड	अस्थायी कार्यस्थल (रख—रखाव एवं मरम्मति समेत)
		च	परामर्शीयों, विशेषज्ञों, अंकेक्षक एवं वकीलों के शुल्क
		छ	अवमूल्यन (i) भवन (ii) प्रयोगशाला उपकरण (iii) वाहन (iv) उपस्कर एवं उपादान (v) वैज्ञानिक उपकरण एवं कार्यालय उपादान (vi) औजार एवं संयंत्र
		ज	विविध
		झ	व्यय से अधिक आय की राशि

लेखा पदाधिकारी

सदस्य सचिव

अध्यक्ष

फार्म-X

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

लेखा की वार्षिक विवरणी

(31.03.20..... को परिसम्पत्ति)

(नियम 26 एवं 32 देखें)

क्र0सं0	परिसम्पत्ति का नाम	31वीं मार्च, 20..... को बची राशि	वर्ष 20..... के दोषान जोड़ी गई राशि	कुल योग	वर्ष के दोषान अमूल्यन	वर्ष के दोषान की बिक्री एवं कुल हानि	31वीं मार्च, 20..... को बची राशि	31वीं मार्च, 20..... को सचित अमूल्यन

लेखा पदाधिकारी

सदस्य सचिव

अध्यक्ष

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड

अधिसूचना

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित नियमावली बनाती है :

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(1) यह नियमावली वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 2007 कही जा सकेगी।

(2) यह शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ— जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14);

(ख) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है, राज्य पर्षद का अध्यक्ष;

(ग) “राज्य पर्षद प्रयोगशाला” से अभिप्रेत है, धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला;

(घ) “राज्य वायु प्रयोगशाला” से अभिप्रेत है, धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला;

(ङ) “प्रपत्र” से अभिप्रेत है, इस नियमावली में दिए गए प्रपत्र;

(च) “सदस्य” से अभिप्रेत है, राज्य पर्षद का सदस्य एवं इसके अध्यक्ष ;

(छ) “सदस्य—सचिव” से अभिप्रेत है, राज्य पर्षद का सदस्य—सचिव;

(ज) “धारा” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(झ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अनुसूची;

(ज) “वर्ष” से अभिप्रेत है, अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होनेवाला वित्तीय वर्ष;

(ट) “राज्य पर्षद” से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद;

(ठ) “सहमति” से अभिप्रेत है, उत्सर्जन के लिए राज्य पर्षद के प्राधिकारी की सहमति;

(ड) “सहमति प्रपत्र” से अभिप्रेत है, राज्य पर्षद द्वारा यथानुमोदित वहिस्त्राव के निस्सरण के निमित्त राज्य पर्षद की सहमति प्राप्त करने के लिए विहित प्रपत्र;

(ढ) “सरकार” से अभिप्रेत है झारखण्ड की राज्य सरकार;

(ण) “बैठक” से अभिप्रेत है, राज्य पर्षद या समिति की बैठक ; और

(त) “समिति” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य पर्षद द्वारा गठित समिति ।

अध्याय—2

राज्य पर्षद के और राज्य पर्षद की समितियों के सदस्यों की सेवा की सीमा और शर्तें।

3. अध्यक्ष के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें

- (1) अध्यक्ष को वेतन के रूप में प्रतिमाह वही राशि देय होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- (2) अध्यक्ष की सेवा के अन्य सीमा और शर्तें, जिनके अन्तर्गत उसे भुगतेय भत्ते भी आते हैं, वही होगी जो उसकी नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय और उनके इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं की जाने पर ऐसे सीमा और शर्तें, यथाशक्य, वही होगी जो राज्य सरकार के समान स्तर के किसी प्रथम श्रेणी पदाधिकारी पर लागू है।
- (3) उप—नियम (1) और (2) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जहां किसी सरकारी सेवक को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, वहां उसकी सेवा की सीमा और शर्तें वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट की जाय।
- (4) उप—नियम (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी राज्य बोर्ड की यात्रा भत्ता नियमावली के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर यात्रा, विराम तथा दैनिक भत्ता अध्यक्ष को देय होगा।

4. सदस्य—सचिव के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें –

- (1) सदस्य—सचिव को राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथानिर्धारित वेतनमान में मासिक वेतन दिया जायेगा।
- (2) सदस्य—सचिव की सेवा के अन्य सीमा और शर्तें जिनके अन्तर्गत उसे भुगतेय भत्ते भी आते हैं, वही होगी जो उसकी नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय।
- (3) उप—नियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सरकारी सेवक को सदस्य—सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसकी सेवा के सीमा और शर्तें वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट की जाय।
- (4) उप—नियम (1), (2) एवं (3) में किसी बात के होते हुए भी राज्य पर्षद के निमित बनायी जाने वाली यात्रा भत्ता नियमावली के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर यात्रा, विराम तथा दैनिक भत्ता सदस्य—सचिव को देय होगा।

5. राज्य पर्षद के सदस्यों की सेवा के सीमा और शर्तें—

- (1) राज्य पर्षद के गैर—सरकारी सदस्य पर्षद या समिति की बैठक में भाग लेने के लिये पाँच सौ रुपये की दर से फीस पाने के हकदार होंगे। यह उनके यात्रा व्यय के अतिरिक्त होगा, जो राज्य पर्षद के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी को अनुमान्य है।
- (2) उप—नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि ऐसा व्यक्ति कोई सरकारी सेवक अथवा किसी सरकारी उपकरण में कर्मचारी हो तो वह उसी दर से यात्रा और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा जो उस पर लागू सुसंगत नियमों के अधीन उपबन्धित है:

परन्तु सांसद/विधान मंडल के सदस्य की दशा में, जो राज्य पर्षद का सदस्य भी हो, उक्त दैनिक और यात्रा भत्ता सांसद/विधान मंडल के सदस्य के रूप में अनुमान्य दर से देय होगा, जबकि सांसद/विधान सभा सत्र में नहीं हो एवं इस आशय का एक प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने उसी यात्रा और विराम के लिये किसी अन्य सरकारी स्रोत से मात्रा भत्ता स्वीकार नहीं किया है।

- (3) उप—नियम (1) एवं (2) में किसी बात के होते हुए भी राज्य पर्षद के निमित बनायी जानेवाली यात्रा भत्ता नियमावली के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर यात्रा, विराम तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

6. राज्य पर्षद की किसी समिति के ऐसे सदस्यों की जो पर्षद के सदस्य नहीं हो धारा 11 की उप-धारा (3) के अधीन फीस और भत्तों का भुगतान – राज्य पर्षद की किसी समिति के सदस्य को समिति की बैठकों के लिये नियम 5 में विनिर्दिष्ट दरों पर यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

अध्याय – 3
अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव की शक्तियां एवं कर्तव्य

7. अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य –

- (1) अध्यक्ष का नियंत्रण राज्य पर्षद के दिन–प्रतिदिन के किया कलापों पर सर्वोपरि होगा।
- (2) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे राज्य पर्षद द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।
- (3) उप–नियम (1) एवं उप–नियम (2) के होते हुए भी अध्यक्ष अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन सदस्य–सचिव के माध्यम से करेगा।

8. धारा 14 की उप–धारा (2) के अधीन सदस्य–सचिव की शक्तियां और कर्तव्य–

- (1) सदस्य–सचिव अध्यक्ष के अधीनरथ होगा।
- (2) सदस्य–सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे बोर्ड द्वारा या अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।

9. पदों का सृजन और उन्मूलन –

- (1) राज्य पर्षद अपने कृत्यों के दक्षता–पूर्ण पालन के लिये ऐसे पदों का सृजन विभिन्न वेतनमान में कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे, उस पद पर नियुक्ति कर सकेगा तथा ऐसे सृजित किये गये पदों का उन्मूलन कर सकेगा और फलस्वरूप की गयी नियुक्ति को भी समाप्त कर सकेगा : परन्तु ऐसे पद जिसका वेतनमान राज्य सरकार के मुख्य अभियंता के वेतनमान से अधिक हो, के सृजन उन्मूलन या उस पद पर नियुक्ति के लिये राज्य पर्षद सरकार से पूर्व स्वीकृति ले लेगा।
- (2) धारा 14 की उप–धारा (3) के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन राज्य पर्षद को अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न वेतनमानों में नियुक्ति, प्रोन्नति, सम्पुष्टि, स्थानान्तरण और सेवा–समाप्ति के मामलों में पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी।
- (3) नियम के होते हुए, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राज्य पर्षद के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों की सेवा शर्त (वेतनमान समेत), नियुक्ति की विधि और सीमा एवं शर्त वही होंगे जो राज्य सरकार के समतुल्य स्तर के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों के होंगे।

अध्याय – 4
सहयोजन की रीति एवं प्रयोजन

10. धारा 12 के अधीन राज्य पर्षद के साथ व्यक्तियों के सहयोजन की नीति और प्रयोजन –

- (1) राज्य पर्षद किसी व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह वह अपने कृत्यों के पालन में अभिप्राप्त करना उपयोगी समझता है, अपनी किन्हीं बैठकों में विचार–विमर्श में भाग लेने के लिये आमंत्रित कर सकेगा।
- (2) यदि उप–नियम (1) के अधीन पर्षद से सहयुक्त व्यक्ति गैर–सरकारी व्यक्ति हो तो वह पर्षद की प्रत्येक दिन की बैठक के लिये जिसके साथ वह इस प्रकार सहयुक्त हो तथा पर्षद के किसी कार्य हेतु प्रत्येक दिन के वास्तविक कार्य के लिये पर्षद द्वारा निर्धारित की गयी फीस पाने का हकदार होगा। यह पर्षद के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी को अनुमान्य यात्रा भत्ता के अतिरिक्त होगा।
- (3) उप–नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवक या किसी सरकारी उपकरण में कर्मचारी है तो वह आने पर लागू सुसंगत नियमों के अधीन अनुज्ञेय दरों पर ही यात्रा और दैनिक भत्तों के लिए हकदार होगा।
- (4) ऐसे अस्थायी सहयोजित व्यक्तियों को पर्षद की बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

अध्याय – 5
परामर्शी इन्जिनीयर एवं सूचना प्रपत्र

11. धारा 14 की उप-धारा (5) के अधीन परामर्शी इन्जिनीयर की नियुक्ति –

राज्य पर्षद् को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता देने के प्रयोजनार्थ राज्य पर्षद् का अध्यक्ष अधिकतम छह माह की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परामर्शी इन्जिनीयर को नियुक्त कर सकेगा ।

परन्तु अध्यक्ष राज्य पर्षद् के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति की अवधि समय-समय पर बढ़ाकर एक वर्ष तक कर सकेगा: परन्तु यह भी कि अध्यक्ष, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए परामर्शी इन्जिनीयर की नियुक्ति कर सकेगा ।

12. नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति –

नियम 11 के अधीन किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये परामर्शी इन्जिनीयर की नियुक्ति होने पर भी अध्यक्ष को परामर्शी की नियुक्ति विनिर्दिष्ट अवधि बीतने के पूर्व ही रद्द करने का अधिकार होगा, यदि अध्यक्ष की राय में ऐसा करना चाहनीय हो जाये ।

13. परामर्शी इन्जिनीयर की पारिश्रमिक –

अध्यक्ष परामर्शी इन्जिनीयर की योग्यता और उसके कार्यस्वरूप को देखते हुए उसे उपयुक्त पारिश्रमिक या फीस दे सकेगा, किन्तु वह परामर्शी इन्जिनीयर के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं करेगा जिसका पारिश्रमिक या फीस 15,000 रुपये से प्रतिमाह अधिक हो । प्रतिमाह पन्दरह हजार रुपये से अधिक पारिश्रमिक देने के लिए अध्यक्ष को सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा ।

14. परामर्शी इन्जिनीयर का दौरा –

परामर्शी इन्जिनीयर राज्य पर्षद् द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों के सम्पादन के लिए देश के भीतर दौरा कर सकेगा और ऐसे दौरे के लिये वह राज्य पर्षद् के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के रूप में यात्रा और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा । उसे अपना दौरा कार्यक्रम अध्यक्ष या सदस्य-सचिव से पहले अनुमोदित करा लेने होगा ।

15. परामर्शी इन्जिनीयर जानकारी प्रकट नहीं करेगा –

वह राज्य पर्षद् की लिखित अनुमति के बिना राज्य पर्षद् द्वारा दी गई जानकारी अथवा राज्य पर्षद् द्वारा या अन्यथा सौंपे गये कर्तव्य के सम्पादन के दौरान प्राप्त जानकारी राज्य पर्षद् से भिन्न किसी व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा ।

16. परामर्शी इन्जिनीयर के कर्तव्य और कृत्य –

वह ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जो उसे राज्य पर्षद्/अध्यक्ष/सदस्य-सचिव द्वारा सौंपे जाएं ।

17. धारा 26 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अन्तर्गत सूचना का प्रपत्र (फार्म) –

राज्य पर्षद् या उसके द्वारा इस निमित्त नमूना लेने वाला धारा 26 (3) (क) में अपेक्षित विश्लेषण किये जाने के आशय की सूचना इस नियमावली से सम्बद्ध अनुसूची के प्रपत्र 1 में तामिल करेगा ।

अध्याय – 6
राज्य पर्षद् प्रयोगशाला

18. धारा 27 की उप—धारा (1) के अधीन राज्य पर्षद् विश्लेषक की रिपोर्ट का फॉर्म—

- (1) जब किसी उत्सर्जन का कोई नमूना राज्य पर्षद् द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजा गया हो तो वह धारा 29 की उप—धारा (2) के अधीन नियुक्त राज्य पर्षद् विश्लेषक नमूने का विश्लेषण करेगा और ऐसे विश्लेषण की रिपोर्ट राज्य पर्षद् को प्रपत्र II में तीन प्रतियों में भेजेगा।
- (2) यदि कोई नमूना धारा 27 की उप—धारा (3) एवं धारा 27 की उप—धारा (4) के अन्तर्गत विश्लेषण के लिए उक्त प्रयोगशाला में भेजा गया हो तो विश्लेषण की रिपोर्ट तीन प्रतियों में प्रपत्र में प्रपत्र II में ही राज्य पर्षद् को भेजा जायेगा, जिसकी एक प्रति उक्त अधिष्ठाता या अभिकर्ता को भी देय होगा।

19. राज्य पर्षद् प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिये फीस—

अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के अनुरोध पर किसी नमूने का विश्लेषण कराने का फीस वही होगा जैसा राज्य पर्षद् समय—समय पर निर्धारित करें।

अध्याय – 7
राज्य वायु प्रयोगशाला

20. धारा 28 की उप—धारा (2) के अधीन राज्य वायु प्रयोगशाला के कृत्य—

राज्य वायु प्रयोगशाला उत्सर्जन के ऐसे नमूनों का, जो उसे राज्य पर्षद् द्वारा उसके प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी से प्राप्त हुए हों, विश्लेषण कराएगी तथा निष्कर्ष प्रपत्र III में तीन प्रतियों में अभिलिखित किये जायेंगे।

21. रिपोर्ट के लिए फीस –

अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के अनुरोध पर किसी नमूने का विश्लेषण खर्चे उसी व्यक्ति के द्वारा संदय होगा और उसके लिए फीस वही होगी जो राज्य पर्षद् द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाय।

अध्याय – 8
सहमति हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं अपील

22. धारा 21 की उप—धारा (2) के अधीन सहमति के लिए आवेदन –

कोई भी व्यक्ति, धारा 21 के अधीन वायु उत्सर्जन के लिए राज्य पर्षद् की सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन राज्य पर्षद् को राज्य पर्षद् द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में जमा करेग।

23. सहमति शुल्क –

नियम 22 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में, अधिनियम की धारा 21 के अधीन राज्य पर्षद् की सहमति प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ राज्य पर्षद् द्वारा निर्धारित सहमति शुल्क देना होगा।

24. धारा 21 की उप—धारा (3) के अधीन सहमति के लिए दिये गये आवेदन की जांच करने की प्रक्रिया –

- (1) अधिनियम की धारा 21 के अधीन सहमति के लिए आवेदन प्राप्त होने पर राज्य पर्षद् अपने किसी पदाधिकारी को उतने सहायकों के साथ जितना आवश्यक हो आवेदन में दी गयी विशिष्टियों को सत्यता या सत्यापन करने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसी और विशिष्टियों या जानकारी अभिप्राप्त करने के लिये जिसे ऐसा पदाधिकारी आवश्यक समझे, आवेदन के उस परिसर का जिससे कि ऐसा आवेदन संबद्ध है, निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। ऐसा पदाधिकारी उसके प्रयोजनार्थ किसी ऐसे स्थान, जहां आवेदक द्वारा जल, मल—जल या व्यावसायिक वहिन्नाव का उत्सर्जन किया जाता है, अथवा आवेदक के शोधन—संयंत्रों का निर्मली—करण, निर्माण या अपवहन प्रणालियों का भी निरीक्षण कर सकेगा और आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे ऐसे शोधन संयंत्रों, निर्मलीकरण, निर्माण या अपवहन प्रणालियों अथवा उनके किसी भाग से संबंधित कोई नक्शा, विनिर्देश या अन्य ऐसी आधार सामग्री दे, जिसे वह आवश्यक समझता हो।
- (2) ऐसा पदाधिकारी उप—नियम (1) के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनार्थ आवेदक के किसी परिसर का निरीक्षण करने के पहले आवेदक को अपने ऐसा करने के आशय की सूचना प्रपत्र IV में देगा। आवेदक ऐसे

पदाधिकारी को वे सभी सुविधाएं प्रदान करेगा जिनका ऐसा पदाधिकारी उसके प्रयोजनार्थ विधि सम्मत रूप से अपेक्षा करें।

- (3) राज्य पर्षद का कोई पदाधिकारी उप—नियम (1) के अधीन निरीक्षण करने के पहले या पश्चात आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे मौखिक या लिखित रूप से ऐसी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण दे या उसके समक्ष ऐसी दस्तावेज पेश करे जिन्हें वह आवेदन के अन्वेषण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझता हो और इसके लिए वह आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को राज्य पर्षद के कार्यालय में बुला सकेगा।

25. अपील —

धारा 31 के अधीन अपीलों की सुनवाई राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से राज्य सरकार द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

अध्याय—9
राज्य पर्षद का बजट

26. धारा 34 के अधीन प्राक्कलनों का प्रपत्र—

- (1) आगामी वर्ष का बजट जिसमें राज्य बोर्ड को प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दिखाए रहेंगे प्रपत्र V से X अथवा राज्य पर्षद द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में तैयार करके राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय के साथ चालू वर्ष का पूनरीक्षित बजट प्राक्कलन में दिया रहेगा।
- (3) बजट यथाशक्य राज्य पर्षद द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा—शीर्षों पर आधारित होगा।

27. राज्य पर्षद को बजट प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाना —

- (1) नियम 25 के अनुसार यथा संकलित बजट प्राक्कलन प्रतिवर्ष 5 अक्तूबर तक सदस्य—सचिव द्वारा राज्य पर्षद के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जायेगा।
- (2) राज्य पर्षद द्वारा बजट प्राक्कलन के अनुमोदन के पश्चात अंतिम बजट प्रस्तावों की, जिसमें राज्य पर्षद द्वारा किये गये उपान्तरण सम्मिलित होंगे, चार प्रतिवर्ष 15 अक्तूबर तक राज्य सरकार की अग्रसारित की जायेगी।

28. व्यय उपगत करने की शक्ति —

राज्य पर्षद प्राप्त निधियों में से राज्य सरकार के वित्तीय नियमों और उसके द्वारा समय—समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार व्यय उपगत करेगा।

29. राज्य पर्षद की निधि का संचालन—

राज्य पर्षद की निधि का संचालन राज्य पर्षद के सदस्य—सचिव द्वारा या राज्य पर्षद के किसी ऐसे पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिसे राज्य पर्षद ने इस रूप में सशक्त किया हो।

30. व्यावृति—

इस अध्याय की कोई बात किसी ऐसे बजट पर लागू न होगी, जिसे इस नियमावली के प्रारम्भ के पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया हो।

अध्याय — 10
वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र एवं लेखा

31. धारा 35 की उप—धारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र —

पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में, जिसमें पूर्व वित्त वर्ष के दौरान राज्य पर्षद के किया—कलापों का सही और पूर्ण विवरण दिया रहेगा, फॉर्म X अथवा राज्य—पर्षद द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्म में विनिर्दिष्ट विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी और यह प्रतिवर्ष 15 मई तक राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

32. राज्य पर्षद का लेखा –

धारा 36 की उप—धारा (1) के अधीन राज्य पर्षद के लेखा का वार्षिक विवरण प्रपत्र V से X अथवा राज्य—पर्षद द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में होगा।

अध्याय – 11
बैठक

33. धारा 10 के अधीन बैठक की सूचना –

- (1) राज्य पर्षद की बैठक रँची या राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीखों पर होगी।
- (2) अध्यक्ष राज्य पर्षद के कम—से—कम पांच सदस्यों के लिखित अनुरोध अथवा राज्य सरकार के निदेश पर राज्य पर्षद की विशेष बैठक बुलाएगा।
- (3) सदस्य—सचिव साधारण बैठक के लिए पन्द्रह पूरे दिनों की और विशेष बैठक के लिए तीन पूरे दिनों की सूचना सदस्यों को देगा। जिसमें बैठक का स्थान और समय तथा उसमें सम्पादित किये जाने वाले कार्य का उल्लेख रहेगा।
- (4) सदस्यों की बैठक की सूचना उनके निवास या कारबार के पिछले ज्ञात स्थान पर दूत द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज कर अथवा ऐसी अन्य रीति से दी जा सकेगी जिसे अध्यक्ष मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें।
- (5) किसी भी सदस्य को किसी बैठक के समक्ष विचारार्थ कोई ऐसा मामला पेश करने का जिसके लिए उसने सदस्य—सचिव को पूरे दस दिनों की सूचना न दी हो, तब तक अधिकार नहीं होगा, जब तक कि अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से उसे ऐसा करने की अनुमति न दें।
- (6) राज्य पर्षद किसी बैठक को किसी विशेष दिन के लिए स्थगित कर सकेगा तथा स्थगित बैठक के लिए कोई नयी सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (7) कोई भी कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि सूचना से संबंधित इस नियम के उपबन्ध का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया है।

34. अध्यक्षा करने वाला पदाधिकारी –

अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया सदस्य उसकी अध्यक्षता करेगा।

35. सभी प्रश्नों का विनिश्चय बहुमत से किया जायेगा –

- (1) बैठक में उठाया जाने वाला कोई भी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किया जायेगा तथा मतदान प्रस्ताव के पक्ष में हाथ उठाकर किया जायेगा।
- (2) मत के बराबर होने की दशा में पीठासीन पदाधिकारी दूसरा या निर्णायक मत देगा।

36. कोरम –

- (1) किसी भी बैठक के लिए कोरम पाँच व्यक्तियों का होगा ;
- (2) यदि किसी बैठक के लिए निर्धारित समय पर अथवा किसी बैठक के दौरान कोरम पूरा न हो तो अध्यक्षता करने वाला पदाधिकारी बैठक स्थगित कर देगा और यदि ऐसे स्थगन के 30 मिनट के बाद भी कोरम पूरा न हो, तो अध्यक्षता करने वाला पदाधिकारी अगले दिन अथवा किसी अन्य अगली तारीख के उस समय तक के लिए बैठक स्थगित कर देगा, जैसा वह निर्धारित करे।
- (3) स्थगित की गई बैठक के लिये किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
- (4) जो विषय बैठक की कार्यसूची में नहीं रहा हो उस पर स्थगित बैठक में विचार नहीं किया जायेगा।
- (5) स्थगित बैठक के लिए नयी सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।

37. कार्यवृत –

- (1) बैठक में जिन सदस्यों ने भाग लिया हो, उनके नाम और बैठक की कार्यवाही की अभिलेख सदस्य—सचिव द्वारा एक बही में रखा जायेगा।
- (2) पिछली बैठक का कार्यवृत प्रत्येक अगली बैठक के आरम्भ में पढ़ा जायेगा तथा उस बैठक की अध्यक्षता करने वाला पदाधिकारी उसकी सम्पुष्टि करके उस पर हस्ताक्षर करेगा।

38. बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य –

अध्यक्षता करने वाले पदाधिकारी के अनुमति के बिना किसी कार्य का निष्पादन नहीं किया जायेगा, जो कार्य—सूची में दर्ज न हो अथवा जिसके लिए नियम 33 के उप—नियम (5) के अधीन किसी सदस्य द्वारा सूचना न दी गई हो।

39. कार्य अनुक्रम –

- (1) किसी बैठक में कार्य उसी क्रम से सम्पादित किया जायेगा जिस क्रम में वह कार्य—सूची में दर्ज हो।
- (2) बैठक के आरम्भ में या बैठक के दौरान किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श पुरा होने के बाद, अध्यक्षता करने वाला पदाधिकारी या कोई सदस्य कार्य—सूची में दर्ज कार्य—अनुक्रम में परिवर्तन का सुझाव दे सकेगा यदि बैठक में इस पर सहमति हो जाए, तो कार्य अनुक्रम में परिवर्तन कर दिया जायेगा।

40. नियमापत्ति – किसी भी सदस्य को ऐसे विषय पर, जिसपर विचार, विमर्श चल रहा हो, नियमापत्ति करने का अधिकार होगा तथा उसके बाद अध्यक्षता करने वाले पदाधिकारी को प्रश्न का विनिश्चय करके अपना विनिर्णय देने का अधिकार होगा, जो अंतिम होगा।

41. धारा 11 की उप—धारा – (1) के अन्तर्गत पर्षद द्वारा गठित समितियों के कार्य निष्पादन की प्रक्रिया –

- (1) धारा 11 की उप—धारा (1) के अधीन राज्य पर्षद द्वारा गठित समिति की बैठक का समय और स्थान वही होगा, जैसा कि समिति के संयोजक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।
- (2) धारा 11 की उप—धारा (1) के अधीन गठित समिति की बैठक का कोरम समिति के कुल सदस्य संख्या का आधा होगा।
- (3) उप—नियम (1) और उप—नियम (2) के अधीन, धारा 11 की उप—धारा (1) के अधीन गठित किसी समिति की बैठक, यथाशक्य उन्हीं नियमों द्वारा शासित होगी जो नियम राज्य पर्षद की बैठकों पर लागू होते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव।

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

नमूने का विश्लेषण करने के आशय की सूचना

(देखे नियम 17)

सेवा में,

.....
.....
.....

आपको यह सूचित हो कि निम्नलिखित उत्सर्जन के नमूने का विश्लेषण कराया जाना आशयित है जो आज तारीख

20 से (I)

जा रहा है।

से लिया

नमूना लेने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम

(1) यहां उस उत्सर्जन स्त्रोत का विनिर्देश करें जहां से नमूना लिया गया है।

प्रतिलिपि –

.....
.....
.....

हस्ताक्षर

प्रपत्र II

राज्य पर्षद् विश्लेषक की रिपोर्ट

(नियम 18 देखें)

रिपोर्ट सं0

दिनांक20.....

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं (I) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त राज्य पर्षद् विश्लेषक ने तारीख (II) 20 को (III) से
..... का, नमूना विश्लेषण के लिए प्राप्त किया। नमूना विश्लेषण के योग्य दशा में था जिसकी रिपोर्ट नीचे दी गई है :

मैं आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने तारीख (IV) को पूर्वोक्त नमूने का विश्लेषण कर लिया है और घोषित करता हूँ कि विश्लेषण का परिणाम नीचे लिखे अनुसार है :-

(V)

प्राप्त होने के समय सील, बंधन और पात्र की दशा निम्न प्रकार थी :-

..... आज तारीख 20
..... को हस्ताक्षरित।

पता —

.....
.....
.....

हस्ताक्षर

राज्य बोर्ड विश्लेषक

सेवा में

.....
.....
.....

- (i) यहां राज्य पर्षद् विश्लेषक का पूरा नाम लिखें।
- (ii) यहां नमूने की प्राप्ति की तारीख लिखें।
- (iii) यहां पर्षद् या व्यक्ति या व्यक्ति निकाय या पदाधिकारी का नाम लिखें जिससे नमूना प्राप्त हुआ।
- (iv) यहां विश्लेषण की तारीख लिखें।
- (v) यहां विश्लेषण के ब्योरे लिखें और विश्लेषण की पद्धति का निर्देश करें। यदि स्थान पर्याप्त न हो तो ब्योरे पृथक कागज पर दिये जा सकते हैं।

प्रपत्र III
सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट
(नियम 20 देखें)

रिपोर्ट सं0

दिनांक20.....

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं (i) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त सरकारी विश्लेषक ने तारीख (ii) को (iii) से का नमूना विश्लेषण के लिये प्राप्त किया। नमूना विश्लेषण के योग्य दशा में था जिसकी रिपोर्ट नीचे दी गई है।

मैं आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने तारीख (IV) को पूर्वोक्त नमूने का विश्लेषण कर लिया है और घोषित करता हूँ कि विश्लेषक का परिणाम नीचे लिखे अनुसार है :—

(v)

प्राप्त होने के समय सील, बंधन और पात्र की दशा निम्न प्रकार थी :—

आज तारीख20 को हस्ताक्षरित।

पता —

.....
.....
.....

हस्ताक्षर
सरकारी विश्लेषक।

सेवा में

.....
.....
.....

- (i) यहां सरकारी विश्लेषक का पूरा नाम लिखें।
- (ii) यहां नमूने की प्राप्ति की तारीख लिखें।
- (iii) यहां बोर्ड या व्यक्ति या व्यक्ति निकाय या पदाधिकारी का नाम लिखें जिससे नमूना प्राप्त हुआ था।
- (iv) यहां विश्लेषण की तारीख लिखें।
- (v) यहां विश्लेषण के ब्योरे लिखें और विश्लेषण की पद्धति का निदेश करें। यदि स्थान पर्याप्त न हो तो ब्योरे पृथक कागज पर दिये जा सकते हैं।

फार्म IV

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद निरीक्षण की सूचना
[देखें नियम – 24 (2)]

सं०
दिनांक.....

प्रेषक

श्री
.....
.....

सेवा में,

श्री
.....
.....

आपको यह सूचित हो कि धारा 21 के अधीन जांच के लिये राज्य बोर्ड के निम्नांकित अधिकारी, अर्थात् –

- (क) श्री
- (ख) श्री
- (ग) श्री

तथा बोर्ड द्वारा उनकी सहायता के लिये प्राधिकृत व्यक्ति –

- (क) जल संकर्म
- (ख) मल संकर्म
- (ग) अवशिष्ट शोधन संयंत्र
- (घ) कारखाना
- (ङ) अपवहन पद्धति
- (च) प्रबन्ध नियंत्रण के अधीन उनके या उनसे संबंधित अन्य भागों का तारीख _____ को _____ बजे से _____ बजे तक निरीक्षण करेंगे। उस समय उनके द्वारा ऐसे निरीक्षण के लिये अपेक्षित सभी सुविधायें, उस स्थल पर उन्हें उपलब्ध की जानी चाहिए। आपको यह सूचित हो कि उपर्युक्त मांग को, जो कि राज्य पर्षद के कृत्या के अधीन की गई है, अस्वीकार या प्रतिवाद करना अधिनियम की धारा 38 के अधीन दंडनीय वाधा की कोटि में आएगा।

पर्षद के आदेश से,
सदस्य सचिव।

प्रतिलिपि 1.

3.

2.

4.

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

वर्ष, 20..... के विस्तृत बजट का प्राक्कलन

प्रशासन

(नियम 26 एवं 32 देखें)

लेखा शीर्ष	पिछले तीन वर्षों का वार्ताविक				चालू वर्ष, 20..... के पिछले छ: महिनों के लिए स्थीरकृत प्राक्कलन	चालू वर्ष, 20..... के पिछले छ: महिनों का वार्ताविक	चालू वर्ष, 20..... के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन	चालू वर्ष, 20..... के लिए प्राक्कलित बजट	कॉलम 5 एवं 7 में फर्क	कॉलम 7 एवं 8 में फर्क	कॉलम 9 एवं 10 के लिए स्पष्टीकरण
	20....	20....	20....	20....							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

फार्म-VI

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

वर्ष, 20..... के लिए प्रस्तावित स्थापना की विवरणी
स्थापना
(नियम 26 एवं 32 देखें)

नाम एवं पदनाम	प्रावलन फार्म के पृष्ठ का संदर्भ	पद के लिए स्वीकृत वेतन—आगामी वर्ष की 1ली अप्रैल को संबंधित व्यक्ति का वेतन			कॉलम 5 की दर से प्रावधान की गई राशि	वर्ष के अन्दर पड़ने वाले वेतनवृद्धि			कॉलम 5 एवं कॉलम 9 का कुलयोग
		न्यूनतम	अधिकतम	वार्षिक		वेतनवृद्धि की तिथि	वेतनवृद्धि का दर	वर्ष के लिए वेतनवृद्धि की राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

फार्म-VII

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

सामान्य क्रम

(नियम 26 एवं 32 देखें)

नाम एवं पदनाम	वेतन	मँगाई भता	नगर दण्डित भता	आवास किराया भता	अतिरिक्त कार्य समय भता	शिक्षा शिक्षण भता	अवकाश यात्रा में छट	अन्य भता	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

फार्म-VIII
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
सामान्य क्रम का सार
(नियम 26 एवं 32 देखें)

पदों की विवरणी	1ल पहली अप्रैल 20..... को वार्षिक स्थीकृत बल	वर्ष 20.....-20..... के लिए स्वीकृत बजट		वर्ष 20.....-20..... के लिए पुनरीक्षित प्रावकलन		वर्ष 20.....-20..... के बजट का प्रावकलन		कॉलम 4, 6 एवं 8 की राशियाँ भै अतर का स्पष्टीकरण
		सम्मिलित किए गए पदों की संख्या	वेतन एवं भत्ते	सम्मिलित किए गए पदों की संख्या	वेतन एवं भत्ते	सम्मिलित किए गए पदों की संख्या	वेतन एवं भत्ते	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I पदाधिकारी (क) भरे गए पद (ख) रिक्त पद कुल पदाधिकारी								
II स्थापना (क) भरे गए पद (ख) रिक्त पद कुल स्थापना								
III वर्ग-IV (क) भरे गए पद (ख) रिक्त पद कुल वर्ग IV								
I, II एवं III का कुल योग								

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

वर्ष 20..... के प्राप्ति एवं भुगतान की वार्षिक विवरणी
(नियम 26 एवं 32 देखें)

प्राप्ति		भुगतान	
	शीर्ष		शीर्ष
I	प्रारंभ की राशि		
II	प्राप्त स्वीकृति (क) सरकार से (क) अन्य संस्था से		क मूल खर्च (i) पदाधिकारियों का वेतन (ii) कर्मचारियों का वेतन (iii) भत्ते एवं मानदेय (iv) अवकाश अवधि का वेतन एवं भविष्य निधि अंशदान (v) कर्मियों के भविष्य निधि में पर्षद का अंशदान (vi) आक्रिमिक खर्च वसूली की कटौती
III	शुल्क		
IV	जुर्माना एवं जप्ति		ख प्रयोगशाला पर खर्च (i) केन्द्रीय प्रयोगशाला (ii) क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशालाओं को भुगतान
V	पैंजी का व्याज		
VI	विविध प्राप्तियाँ	ग	वाहनों के रख-रखाव एवं चालन
VII	विविध अग्रिम	घ	रख-रखाव एवं मरम्मति (i) भवन एवं भूमि (ii) कार्यस्थल (iii) उपस्कर एवं उपादान (iv) वैज्ञानिक उपकरण एवं कार्यालय उपादान (v) औजार एवं संयंत्र
VIII	जमा	ङ	अस्थायी कार्यस्थल (रख-रखाव एवं मरम्मति समेत)
IX	कुल	च	परामर्शीयों, विशेषज्ञों, अंकेक्षक एवं वकीलों के शुल्क
		छ	अवमूल्यन (i) भवन (ii) प्रयोगशाला उपकरण (iii) वाहन (iv) उपस्कर एवं उपादान (v) वैज्ञानिक उपकरण एवं कार्यालय उपादान (vi) औजार एवं संयंत्र
		ज	विविध
		झ	व्यय से अधिक आय की राशि

लेखा पदाधिकारी

सदस्य सचिव

अध्यक्ष

फार्म-X

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

लेखा की वार्षिक विवरणी

(31.03.20..... को परिसम्पत्ति)

(नियम 26 एवं 32 देखें)

क्र0सं0	परिसम्पत्ति का नाम	31वीं मार्च, 20..... को बची राशि	वर्ष 20..... के दौरान जोड़ी गई राशि	कुल योग	वर्ष के दौरान अमूल्यन	वर्ष के दौरान की विक्री एवं कुल हानि	31वीं मार्च, 20..... को बची राशि	31वीं मार्च, 20..... को सांचित अमूल्यन

लेखा पदाधिकारी

सदस्य सचिव

अध्यक्ष